

विचार बिन्दु

हिंसा के मुकाबले में लाचारी का भाव आना अहिंसा नहीं कायरता है। अहिंसा को कायरता के साथ नहीं मिलाना चाहिए। –महात्मा गांधी

क्या हिजाब के विवाद के निराकरण का कोर्ट के अतिरिक्त अन्य विकल्प भी हो सकता है?

ऐ

सा प्रतीत हो रहा है कि हम हिन्दू-मुसलमान हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें गर्व या कि संविधान ने जहाँ देश को धर्मीय प्रभेश रखने का दर्जा दिया, साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी दे दिया, किन्तु उसे लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहने दिया साथ ही धर्म के अबाध रूप से मानने, आधरण करने का खारिगर भी सभी व्यक्तियों को दे दिया और धार्मिक आचरण (Religious Practice) को रोगेट करने के बाबत राज्य को अधिकार दिया। इस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार सुरक्षित कर दिया धार्मिक आचरण के बाबत सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पांडे ने सन 1954 ही में यह निर्णय दिया कि ऐसी धार्मिक प्रेक्षित धर्म का मूल्य भाग होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 25 में यही संदेश दिया है तथा अनुच्छेद 29 में यह घोषणा की गई कि कोई धार्मिक अध्यासङ्गक जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा है उसे उनकी संरक्षण का मूल अधिकार होगा।

प्रत्युत विवाद कर्नटक राज्य से है और हिजाब पहनने से संबंध रखता है। कर्नटक हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मुसलमान कन्ना विद्यार्थियों पर हिजाब पहनने पर निषेध अदेश चर्चित है। राज्य ने हिजाब पर प्रतिबंध कुछ स्कूलों पर लगाया था। कर्नटक राज्य की ओर से दलिल दी गई है कि हिजाब का प्रश्न स्कूल यूनिफॉर्म के लिये नहीं है। सन 2021 से पूर्व हिजाब पर लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठी के माननीय सदस्य जस्टिस धूलिया हैं। इस पीठ के समक्ष 23 पिटीशनस के बेच पर सुनवाई हो रही है। इस खण्डपीठी के समक्ष दो प्रकार के केसेज हैं। एक वे हैं जो रिट पिटीशन से संबंध रखता है जिनमें मुस्लिम बालिका स्टूडेन्ट्स ने हिजाब पहनने के अपने अधिकार के हेतु कोर्ट से गुहार ली है। दूसरे वे केसेज हैं जो एसएलपी के हैं, इनमें कर्नटक हाईकोर्ट के 15.03.2022 के निर्णय दिया कि विशिष्ट संस्कृतों में यूनिफॉर्म पहनना पिटीशनस के मूल अधिकार का अतिरिक्त नहीं है, जिसमें एसएलपी एडवोकेट प्रशान्त भूषण, प्री-यूनिफॉर्मीटी कालेज के पुस्तक स्टूडेन्ट्स हैं। उन्हें हिजाब पहनने से विवेचित किया है। कर्नटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने यह करार दिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम में Essential Religious Practice नहीं है। पूर्ण पीठ ने यह निर्णय दिया कि विशिष्ट संस्कृतों में यूनिफॉर्म पहनना पिटीशनस के मूल अधिकार का अतिरिक्त नहीं है, केवल एडवोकेट प्रशान्त भूषण की अदिव्यादी आदिव्यादी आदिव्यादी ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एप्सोली नवारजन ने राज्य की ओर से तथा केलेजी वीरचर्ची की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन ने भी बहस में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 पर मददगार है। सोलिस्टोर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में खूब सभी व्यक्तियों के लिये यहाँ आवश्यक नहीं है कि यह केस Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बताना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये।

सीनियर एडवोकेट कलिल सिव्वल ने यह संज्ञान दिया है जिस केस को संविधान पीठ को निर्णय देते भेजा जाना चाहिये। यह बहस भी की है कि इस केस में केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एप्सोली नवारजन ने राज्य की ओर से तथा केलेजी वीरचर्ची की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 पर मददगार है। सोलिस्टोर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में खूब सभी व्यक्तियों के लिये यहाँ आवश्यक नहीं है कि यह केस Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बताना था कि यूनि�फॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये।

2021 से पूर्व तक हिजाब कोई विवाद था ही नहीं। ऐसी स्थिति (यदि यह सच है तो) उसे अपनाया जा सकता है तथा इस विवादास्पद प्रश्न को बिना फैसला किये आपसी सदभाव से सुलझाया जाना चाहिये।

आपसी सहमति से पिटीशन विद्वानों की जा सकती है।

प्रतिबंध लगाया है वह संविधान में जो Fraternity का Concept दिया है उसके विरुद्ध है। अहमदी की बहस भी कि खण्डपीठ का आदिव्यादी दिनांक 05.02.2022 जिससे विवाद पर

प्रतिबंध लगाया है वह संविधान में जो Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एप्सोली नवारजन ने राज्य की ओर से तथा केलेजी वीरचर्ची की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 पर मददगार है। सोलिस्टोर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में खूब सभी व्यक्तियों के लिये यहाँ आवश्यक नहीं है कि यह केस Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बताना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये।

केस में दोनों पक्षों की ओर से बहस का स्तर ऊँचा है, किन्तु मूल प्रश्न तो यही माना जावेगा कि Essential Religious Practice का है और क्या हिजाब की प्रेक्षित विवाद पर

प्रतिबंध लगाया है वह संविधान में जो Fraternity का Concept दिया है उसके विरुद्ध है। अहमदी की बहस भी कि खण्डपीठ का दिनांक 05.02.2022 जिससे विवाद पर

प्रतिबंध लगाया है वह संविधान में जो Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एप्सोली नवारजन ने राज्य की ओर से तथा केलेजी वीरचर्ची की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 पर मददगार है। सोलिस्टोर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में खूब सभी व्यक्तियों के लिये यहाँ आवश्यक नहीं है कि यह केस Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बताना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये।

दिनांक 20.09.2022 की दीवानी की न्यूज में समाचार थे “ईरान में हिजाब के विरुद्ध हिंसक प्रश्न”। बहुत से मुस्लिम महिलाओं विवाद पर

प्रतिबंध लगाया है वह संविधान में जो Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एप्सोली नवारजन ने राज्य की ओर से तथा केलेजी वीरचर्ची की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 पर मददगार है। सोलिस्टोर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में खूब सभी व्यक्तियों के लिये यहाँ आवश्यक नहीं है कि यह केस Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बताना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये।

दिनांक 20.09.2022 की दीवानी की न्यूज में हिजाब के विरुद्ध हिंसक प्रश्न”। बहुत से मुस्लिम महिलाओं विवाद पर

प्रतिबंध लगाया है वह संविधान में जो Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एप्सोली नवारजन ने राज्य की ओर से तथा केलेजी वीरचर्ची की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 पर मददगार है। सोलिस्टोर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में खूब सभी व्यक्तियों के लिये यहाँ आवश्यक नहीं है कि यह केस Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बताना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये।

उपरोक्त विवादों के मंधन से यह माना जा सकता है कि हिजाब धर्म के विवाद के अधिन्देश अंग नहीं है न इनका संबंध धर्म के आधरण के है। यह भी बहस से स्पष्ट समझ में नहीं आता है कि

